भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2372

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

कारपोरेटों संबंधी कस्टमाइज्ड आंकाड़ा

2372. श्री एंटो एन्टोनीः

श्रीमती अंजू बालाः

श्री बी. श्रीरामुलुः

श्री तेज प्रताप सिंह यादवः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित देश में वर्ष 2017 के दौरान खर्च की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में सीएसआर डाटा पोर्टल और कारपोरेट डाटा पोर्टल प्रारंभ किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इन पोर्टलों पर किस प्रकार की सूचना उपलब्ध हैं और उन तक पहुंचने के मोड इत्यादि क्या है;

(घ) क्या ऐसे कई पोर्टल, प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे समय पर अद्यतन, डाटा की सटीकता, सुगम पहुंच और विभिन्न फॉर्मेट में डाटा की उपलब्धता इत्यादि की कमी के कारण अपना महत्व खो दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पोर्टलों के प्रबंधन में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित देश में वर्ष 2017 के दौरान व्यय की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों की प्रतिशतता का विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है।

(ख) से (ड़): राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल और कारपोरेट डाटा पोर्टल की शुरूआत कारपोरेट पारदर्शिता को बढाने और वृहत रूप में जनता की जवाबदेही है। दिनांक 19.01.2018 को की गई थी और इसे www.csr.gov.in और www.mcacdm.nic.in पर देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल की अन्य बातों के साथ विशेषताएं हैं:- (i) कंपनी-वार, क्षेत्र-वार, योजना-वार, राज्य और जिला-वार सीएसआर व्यय (ii) कंपनी विशेष को ढूंढना।

कारपोरेट डाटा पोर्टल की अन्य बातों के साथ मुख्य विशेषताएं हैं:- (i) एमसीए21 रजिस्ट्री में दायर आंकड़ों का प्रसार करना (ii) कंपनियों आदि की पूर्व-परिभाषित रिपोर्टें (iii) वित्तीय और गैर-वित्तीय सूचना तैयार करना। इन पोर्टलों को समय-समय पर एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा अपने वित्तीय विवरण दायर करने पर अद्यतन किया जाता है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 09.03.2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2372 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>के लिए राज्य 17-2016/संघ शासित क्षेत्रवार सीएसआर व्यय-</u>

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)			
क्र.सं.	**राज्य/संघ शासित क्षेत्र**	**2016-17**	**प्रतिशत**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.07	0.001
2	आन्ध्र प्रदेश	101.69	2.155
3	अरुणाचल प्रदेश	7.98	0.169
4	असम	38.28	0.811
5	बिहार	36.90	0.782
6	चंडीगढ़	4.17	0.088
7	छत्तीसगढ़	14.85	0.315
8	दादर एवं नगर हवेली	1.65	0.035
9	दमन एवं दीव	0.83	0.018
10	दिल्ली	229.87	4.871
11	गोवा	10.54	0.223
12	गुजरात	152.04	3.222
13	हरियाणा	107.87	2.286
14	हिमाचल प्रदेश	10.57	0.224
15	जम्मू और कश्मीर	27.83	0.590
16	झारखंड	24.24	0.514
17	कर्नाटक	202.71	4.296
18	केरल	50.94	1.079
19	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.000
20	मध्य प्रदेश	213.48	4.524
21	महाराष्ट्र	702.37	14.884
22	मणिपुर	6.03	0.128
23	मेघालय	2.99	0.063
24	मिजोरम	0.08	0.002
25	नागालैंड	0.45	0.010
26	ओडीशा	191.43	4.057
27	पुदुचेरी	3.71	0.079
28	पंजाब	20.17	0.427
29	राजस्थान	84.99	1.801
30	सिक्किम	2.12	0.045
31	तमिलनाडु	202.53	4.292
32	तेलंगाना	64.56	1.368
33	त्रिपुरा	0.60	0.013
34	उत्तर प्रदेश	120.34	2.550
35	उत्तराखंड	30.74	0.651
36	पश्चिम बंगाल	121.12	2.567
37	समस्त भारत*	1928.26	40.862

	कुल योग	**4719.00**	**100.000**

*कंपनियों ने या तो राज्यों का नाम नहीं बताया है या एक से अधिक राज्य का उल्लेख किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

*****